न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–117/2016/भीलवाड़ा(2016/00005)

1. नारू पुत्र किशना,
2. धनराज पुत्र नारू,
   समस्त जाति कालबेलिया, निवासी पोटला, तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती जमना देवी पत्नि कन्हैयालाल, जाति नीनगर, निवासी ग्राम पोटला, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 10.7.2015 प्रकरण संख्या 23/2015 .

उपस्थितः–

1. श्री भरत गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 8.2.2018

अपीलांटस ने यह अपील सहायक कलकटर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 10.7.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के तहत अपीलांट के विरूद्ध अधी0न्याया0 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पोटला पटवार क्षैत्र पोटला तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थिया/रेस्पो0 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त में खाता संख्या 458 में वर्णित आराजियात में से आराजी खसरा नंबर 1681 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 1682 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 1692 रकबा 1.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 है0 भूमि स्थित है । उक्त आराजियात

के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थिया को काश्त करने का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने के दरमियान पक्षकारान के मध्य बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है । इस कारण प्रार्थिया को अपनी उक्त आराजियात में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है । दौराने प्रकरण अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधि0 खारिज करने का निवेदन किया । विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने अपने आदेश दिनांक 10.7.2015 के द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर गोर नहीं किया कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात बाबत् पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधि0 का प्रस्तुत किया था, जिसके प्रकरण संख्या 4/2013 है, जो दिनांक 1.7.2013 को निर्णित हो चुका है तथा उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा पटवारी हल्का पोटला को पत्थरगढ़ी करने हेतु निर्देशित किया व पटवारी हल्का द्वारा उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 21.5.2014 को पत्थरगढ़ी की जा चुकी है । इसलिये रेस्पो0 को उन्हीं आराजियात बाबत् पुनः पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का लोकस नहीं था तथा ना ही पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र संधारण योग्य ही था । अपीलांटस विवादित आराजी के सद्भाविक केता होकर मौके पर खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु रेस्पो0 पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलांटस की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है । अधी0न्याया0ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर पुनः पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधि सम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 10.7.2015 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी अपीलांटस के अधिवक्ता ने नहीं दी । अपीलांटस को अधी0न्याया0 के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई

एवं तत्पश्चात् प्रार्थी गंगापुर गया एवं जानकारी करने पर निर्णय की पुष्टि होने पर निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है। मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अपीलांटस का मुख्य कथन यह है कि रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर अधी0न्याया0 को निवेदन किया था कि रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजियात बाबत् ही पूर्व में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण संख्या 4/2013 अंतर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें अधी0न्याया0 ने दिनांक 1.7.2013 को निर्णय पारित कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये थे तथा उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार, सहाड़ा द्वारा पटवारी हल्का पोटला को निर्णय की पालना हेतु निर्देशित किये जाने पर पटवारी हल्का पोटला द्वारा दिनांक 21.5.2014 को पत्थरगढ़ी की गई थी । इसलिये अब उन्हीं आराजियात बाबत् पुनः धारा 111 एवं 128 भू–राजस्व अधि0 के तहत पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व प्रकरण संख्या 4/2013 श्रीमती जमनादेवी बनाम किशनलाल व अन्य में पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 श्रीमती जमनादेवी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111–128 भू–राजस्व अधि0 के तहत खाता संख्या 428 के आराजी नंबर 1681, 1682, 1683/7872 एवं आराजी नंबर 1691 कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 है0 बाबत् उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 1.7.2013 द्वारा वर्तमान रेस्पो0 श्रीमती जमनादेवी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है । उक्त निर्णय दिनांक 1.7.2013 की पालना में पटवारी हल्का पोटला द्वारा दिनांक 21.5.2014 को पत्थरगढ़ी की जा चुकी है । इसके बावजूद रेस्पो0 जमना देवी द्वारा पुनः नवीन प्रार्थना पत्र संख्या 23/2015 अंतर्गत धारा 111–128 भू–राजस्व अधि0 के तहत अपीलांटस के विरूद्ध खाता संख्या 458 के खसरा नंबर 1681, 1682 एवं 1692 कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 है0 बाबत् पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नवीन प्रार्थना पत्र

संधारण योग्य नहीं होने से अपास्त करने का निवेदन भी किया था किन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अपास्त कर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । रेस्पो0 द्वारा पूर्व एवं नवीन प्रार्थना पत्र में विवादित भूमियां समान होने से तथा पूर्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2015 में पत्थरगढ़ी के आदेश होने के उपरांत उन्हीं आराजियात बाबत् पुनः पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं होकर प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 अपास्त कर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111–128 भू–राजस्व अधि0 स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में पत्थरगढी के आदेश होने के बावजूद रेस्पो0 द्वारा उन्हीं भूमियों बाबत् पुनः पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं था, किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 10.7.2015 अपास्त योग्य पाया जाता है ।

–ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 117/2016 (2016/00005) बउनवानी नारू बनाम श्रीमती जमनादेवी को स्वीकार किया जाता है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलावड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 23/2015 बउनवान श्रीमती जमना देवी बनाम नारू में पारित निर्णय दिनांक 10.7.2015 को अपास्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 8.2.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर